न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2016-00030Jodhpur2016-2RTA225 Khetaram etc Vs Gorkharam etc

1. खेताराम पुत्र किस्तुर राम
2. बाबुराम पुत्र किस्तुर राम
3. लिखमाराम पुत्र किस्तुर राम
4. गिरधारीराम पुत्र किस्तुर राम
5. कुम्भाराम पुत्र किस्तुर राम
6. नारायण राम पुत्र किस्तुर राम
7. अचलाराम पुत्र किस्तुर राम
8. श्रीमती भूरी पत्नी किस्तुर राम

सभी जातियान् जाट, निवासी- ग्राम चेराई, तहसील औसियां, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. गोरखाराम पुत्र हणुताराम, जाति जाट, निवासी- चेराई।
2. श्रीमती जीया पुत्री हणुताराम पत्नी श्री उम्मेदाराम, जाति जाट, निवासी- सेखाला, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार औसियां, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 02 नवंबर 2015 सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, ओसियां राजस्व विविध प्रार्थनापत्र संख्या 66/2014 खेताराम व अन्य बनाम गोरखाराम इत्यादि

उपस्थित-

श्री रुघाराम चौधरी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 3
शेष रेस्पोडेंट्स बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

नि र्ण य

राजस्व अपील प्राधिकारी

दिनांक : 16 दिसंबर 2022

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 66/2014 खेताराम व अन्य बनाम गोरखाराम इत्यादि में पारित निर्णय दिनांक 02 नवंबर 2015 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 21 दिसंबर 2015 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि <u>प्रार्थीगण/अपीलांट्स</u> ने एक वाद अन्तर्गत बाबत खातेदारी घोषणा, बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 1630, 1631, 1632, 1646 ग्राम चेराई के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया। प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने दोनो पक्षकारों की बहस सुनकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 02 नवंबर 2015 को पारित किया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। शेष रेस्पो. बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट वादग्रस्त भूमि के रेकर्डेड खातेदार एवं काबिज काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज करने में विधिक भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट्स ने यह निवेदन किया कि प्रत्यर्थी संख्या दो हणुताराम की जायंदा पुत्री है तथा प्रत्यर्थी संख्या दो ने हणुताराम की सम्पति में सें

राजस्व अपील प्राधिकारी

कुछ हिस्सा लेकर शेष हिस्सा प्रत्यर्थी संख्या दो के पक्ष में त्याग दिया है। इस कारण से प्रत्यर्थी संख्या दो को मंगलाराम की सम्पति में किसी प्रकार का हक हिस्सा अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं। प्रत्यर्थी संख्या दो मंगलाराम की कानूनी उत्तराधिकारी वारिसान् नहीं है। वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट्स का ही कब्जा काश्त है। मंगलाराम की संपति किसको मिलेगी, यह बिंदु मूल वाद में साक्ष्य सबूत के बाद तय किया जायेगा, लेकिन वर्तमान में प्रत्यर्थी संख्या दो अपने ससुराल में अपने परिवार के साथ रहती है। प्रत्यर्थी संख्या दो का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा होने के संबंध में किसी प्रकार का दस्जावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अलावा प्रत्यर्थी संख्या दो मंगलाराम की सम्पति पैतृक होने के संबंध में किसी प्रकार का दस्जावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रत्यर्थी संख्या दो की पैतृक संपति अपने जायंदा पिता हणुताराम की ही हो सकती है। अंत में अधिवक्ता अपीलांट द्वारा निवेदन किया गया कि अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.11.2015 को निरस्त किया जाकर अपीलांट्स के प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाया जाकर प्रत्यर्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे अपीलांट्स के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त एवं उपयोग-उपभोग में किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं करे न किसी अन्य से करावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

उभय पक्ष के अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अध्ययन किया गया। अपीलांट्स जो कि किस्तुर राम के वारिसान् है,

राजस्व अपील प्राधिकारी

के द्वारा वादग्रस्त भूमि में स्व. मंगलाराम के हिस्से की भूमि के संबंध में घोषणा चाही है। वहीं जवाब में प्रत्यर्थीगण/रेंस्पोंडेंट हणुताराम के वारिसान् द्वारा वादग्रस्त भूमि में समान अधिकार व हिस्सा होने से स्व. मंगलाराम की भूमि में अपना हिस्सा चाहा है। यह भी उल्लेखनीय है कि दावा प्रस्तुति के बाद लगभग 12 साल बाद स्थगन आदेश की आवश्यकता प्रथमदृष्टया महसूस नहीं होती है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत होने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

वस्तुतः समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाकर सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 66/2014 खेताराम व अन्य बनाम गोरखाराम इत्यादि में पारित निर्णय दिनांक 02 नवंबर 2015 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16.12.2022

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर